

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
(दिनांक 30.10.2025)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. :- 456/2025

GCMS NO:- 2025/

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.

उनवान :- रामवती बनाम राज0 सरकार

:-आदेश:-

दिनांक :- 30.10.2025

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का पचेरी कला के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्धप्रविष्टि)	आदेश (शुद्धप्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	पचेरी कला	389	रामवती पत्नी रामोतार सिंह कुलदीप सिंह पुत्र रामोतार सिंह सुनिल सिंह पुत्र रामोतार सिंह सुनिता पुत्री रामोतार सिंह	रामवती पत्नी तारा सिंह कुलदीप सिंह पुत्र तारा सिंह सुनिल सिंह पुत्र तारा सिंह सुनिता पुत्री तारा सिंह



उपखण्ड अधिकारी बुहाना
राजस्थान राज्य एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

दिनांक:- 30/10/25

क्र. सं. :- राजस्व / 2025 / 882
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. संबंधित श्री रामवती पत्नी तारा सिंह जाति राजपुत निवासी पचेरी कला तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
राजस्थान राज्य एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना